भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 530
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिक सुरक्षा संगठन में युवाओं के लिए प्रशिक्षण

†530. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों के लिए अर्ध सैनिक बलों के अतिरिक्त कितने नागरिक सुरक्षा संगठन/संस्थान उपलब्ध हैं;
(ख) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार आपात स्थिति या आवश्यकता के दौरान युवाओं को अपनी स्वयंसेवी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो इसके लिए स्थापित संगठन कौन-कौन से हैं और इनमें कितने युवा नामांकित हैं; और
(घ) राष्ट्र निर्माण में ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भावी रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में नागरिक सुरक्षा तंत्र कार्यात्मक है। राज्य स्तर पर, नागरिक सुरक्षा निदेशक नागरिक सुरक्षा मुख्यालय का नेतृत्व करते हैं, जबकि जिला स्तर पर, नागरिक सुरक्षा नियंत्रक/जिला मजिस्ट्रेट नागरिक सुरक्षा गतिविधियों की देखरेख करते हैं।

(ख) और (ग): नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 के अनुसार, नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य स्वैच्छिक और मानद क्षमता में काम करते हैं। नागरिकों को https://civildefencewarriors.gov.in के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कोर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और नामांकन को नागरिक सुरक्षा / जिला मजिस्ट्रेटों के संबंधित नियंत्रकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक बार नागरिक को नागरिक सुरक्षा

स्वयंसेवक (सीडीवी) के रूप में नामांकित करने के बाद, उसे संबंधित नागरिक सुरक्षा नियंत्रक द्वारा पांच कार्य दिवसों के निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरने के लिए तैनात किया जाता है, जिसके बाद छह कार्य दिवसों का, जिसके दौरान राज्य अधिसूचित प्रशिक्षण भत्ता स्वीकार्य है, उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान में, देश भर में लगभग 5.95 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 83,000 नागरिकों ने पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण किया है।

(घ): नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 के अनुसार, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ड्यूटी/प्रशिक्षण पर बुलाए जाने पर कोर के किसी सदस्य को ड्यूटी भत्ते/प्रशिक्षण भत्ते के भुगतान को अधिकृत कर सकती है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके संबंधित आदेशों के अनुसार शुल्क/प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

******